



2026:AHC:28634

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या – 406 / 2026

अरविन्द कुमार व 4 अन्य

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद व 8 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आनंद कुमार श्रीवास्तव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आर.सी. श्रीवास्तव को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:—

"उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण संख्या 418 / 2024 (बुल्लन एवं अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य) में लंबित विविध अस्थगन आदेश निरस्तीकरण आवेदन वर्ष 2025 दिनांकित 02.04.2025 को निर्धारित समय सीमा के भीतर तय करने हेतु राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देशित करें। (याचिका का अनुलग्नक संख्या 1)।"

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी संख्या 2 व अन्य द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत दायर पुनरीक्षण वर्ष 2024 से लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त पुनरीक्षण में राजस्व परिषद द्वारा अंतरिम आदेश भी प्रदान किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन किया है, लेकिन राजस्व परिषद ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर स्टे वेकेशन आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया है, अतः राजस्व परिषद को समयबद्ध अवधि के भीतर उक्त आवेदन तय करने का निर्देश दिया जाए।

4. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

5. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रतिवादी द्वारा दायर धारा 210 के तहत पुनरीक्षण प्रतिवादी संख्या 1/राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज के समक्ष लंबित है और वर्ष 2025 से अंतरिम आदेश प्रभावी है।

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निजी प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण पिछले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है, अतः पुनरीक्षण की कार्यवाही का शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका को इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1/राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार उक्त पुनरीक्षण का निर्णय अधिमानतः दो माह की अवधि के भीतर करें।

(चंद्र कुमार राय, जे.)

10 फरवरी, 2026

रमीज़

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"